राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. दांडिक विविध(याचिका) संख्या 858/2025

1. सदाराम पुत्र श्री काना राम, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी सदराम की ढाणी, ग्राम लियादरा, झाब, जिला सांचोर, जालोर

2. मनोहर लाल पुत्र श्री सदाराम, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी सदराम की ढाणी, ग्राम लियादरा, झाब, जिला सांचोर, जालोर

3. बुधराम उर्फ भूटाराम पुत्र श्री सदाराम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी सदराम की ढाणी, ग्राम लियादरा, झाब, जिला सांचोर, जालोर

4. भंवरलाल पुत्र श्री सदाराम, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी सदराम की ढाणी, ग्राम लियादरा, झाब, जिला सांचोर, जालोर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिए पीपी

2. गंगा प्रशाद पुत्र श्री विशना राम, निवासी जलसिप पी.एस.सांचोर, जिला सांचोर, जालोर

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता(ओं)की ओर से : श्री अशोक उपाध्याय

श्री रमेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से : श्री दीपक चौधरी, ए.ए.जी.

श्री विक्रम सिंह राजपुरोहित, डिप्टी जी.ए.

श्री सुरेश बिश्नोई, ए.जी.ए.

श्री जेठू सिंह, डिप्टीएस.पी. सांचोर

श्री कमलेश, एस.एच.ओ. झाब

श्री अरुण, एस.एच.ओ., झाब

श्री गंगाप्रसाद, कांस्टेबल झाब

श्री मंगाराम, कांस्टेबल, झाब

श्री जगराम, कांस्टेबल, झाब

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

रिपोर्ट योग्य

आदेश सुनाया गया ::: 07/04/2025

आदेश आरक्षित रखा गया ::: 06/02/2025

इस न्यायालय द्वारा:-

1. यह वर्तमान दांडिक विविध याचिका, याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के अंतर्गत, पुलिस थाना झाब, जिला सांचैर में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 और 29 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 56/2024 को अभिखंडित करने के लिए प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस ने सूचना मिलने पर याचिकाकर्ता संख्या 1 सदाराम के मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान, दो

व्यक्तियों-बुधाराम उर्फ भूटाराम (याचिकाकर्ता संख्या 3) और भंवरलाल (याचिकाकर्ता संख्या 4) ने भागने का प्रयास किया किंतु उन्हें पकड़ लिया गया। परिसर के भीतर एक शेड की तलाशी लेने पर, पुलिस ने अभिकथित तौर पर 3.376 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया, जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तौलने का कांटा, प्लास्टिक सीलिंग मशीन और 1,50,400/- रुपये की राशि, जो कथित रूप से मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित की गई थी, बरामद की। संदेहास्पद सामग्री की जब्ती की गई और रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल भेजने हेतु उसके नमूने लिए गए।

2.1 वस्तुतः, रासायनिक परीक्षण के पश्चात, एफएसएल से इस आशय की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि भेजे गए नमूने में किसी भी मनःप्रभावी पदार्थ की उपस्थिति नहीं है, बल्कि वह एक तटस्थ पदार्थ था। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा एफएसएल रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट इस न्यायालय को दिखाई गई है, जिसके अनुसार, नमूनों का परीक्षण किया गया था किंतु कोई भी विनिषिद्ध वस्तु नहीं पाई है।

2.2 एक पश्चात्वर्ती उद्घटना में, संदेह को दूर करने के लिए सुरक्षित रखे गए नियंत्रण नमूनों सी1, सी2 और सी3 को पत्र दिनांक 09.01.2025 के द्वारा भेजा गया था। आश्चर्यजनक रूप से, दूसरा नमूना जो कि नियंत्रण नमूना था और सूची (इन्वेंट्री) तैयार करने के समय तैयार किया गया था, एफएसएल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया (अर्थात उसमें नशीला पदार्थ प्रमाणित नहीं हुआ)। दिनांक 26-03-2025 की अंतिम रिपोर्ट के साथ दिनांक 25-02-2025 की एफएसएल रिपोर्ट की एक प्रति इस न्यायालय को प्रदान की गई है, जिसके अनुसार सी1, सी2 और सी3 के रूप में चिह्नित प्रत्येक पैकेट में बंद

नमूने में मेथामफेटामाइन (एमडीएमए) या किसी अफीम अल्कलॉइड या किसी मादक पदार्थ की उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

3. आज की तिथि में, यह समवर्ती रूप से कहा जा सकता है कि मामला विनिषिद्ध सामग्री रखने के संदेह पर दर्ज किया गया था। हालांकि, इस संदेह की पुष्टि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट से नहीं हुई है। इस प्रकार, अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं में से किसी के भी विरुद्ध कोई मामला शेष नहीं रह जाता है। यद्यपि आज की तिथि में इस मामले में ऐसी कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि द्वितीय नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और यह मुद्दा अब प्रासंगिक नहीं रह गया होगा, फिर भी, विशुद्ध रूप से सावधानी के तौर पर यह उल्लेख किया जा रहा है कि दोबारा परीक्षण या पुनः-नमूनाकरण के किसी भी अनुरोध को एन.डी.पी.एस. अधिनियम (स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम) के अंतर्गत सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसा अनुरोध केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले अकाट्य कारणों के आधार पर किया जा सकता है, ऐसे मामलों में इस आशय का एक आवेदन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर ही किया जा सकता है, केवल तभी उस आशय का कोई आदेश पारित किया जा सकता है। तत्पश्चात दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी बाध्यकारी परिस्थिति के अभाव में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का पुनः नमूनाकरण और दोबारा परीक्षण निषिद्ध है। इसलिए, यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कोई भी एजेंसी एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत तैयार किए गए प्रावधानों और नियमों के दायरे से बाहर, दोबारा परीक्षण के लिए नमूना नहीं भेज सकती है या पुनः नमूनाकरण की कार्रवाई नहीं कर सकती है।

4. ***(2013) 2 SCC 590 में रिपोर्ट किए गए अग्रणी मामले थाना सिंह बनाम सी.बी.एन.*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपरोक्त मुद्दे का निपटारा करने का अवसर मिला था। उक्त निर्णय के सुसंगत पैरा नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"ई. दोबारा परीक्षण के उपबंध"

23. एन.डी.पी.एस. अधिनियम स्वतः नमूनों के पुनः नमूनाकरण या दोबारा परीक्षण की अनुमति नहीं देता है। फिर भी, इसके विपरीत एक प्रवृत्ति रही है; एन.डी.पी.एस. न्यायालय लगातार दोबारा परीक्षण और पुनः नमूनाकरण के आवेदनों को स्वीकार करती आ रही हैं। ये आवेदन मुकदमों में देरी को बढ़ाते हैं क्योंकि ये अक्सर समय की एक महत्वपूर्ण अवधि बीत जाने के बाद, विचारण के अग्रिम चरणों में प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद एन.डी.पी.एस. न्यायालय या तो कुछ उच्च न्यायालय के निर्णयों देखें: स्टेट ऑफ केरला बनाम दीपक पी. शाह MANU/KE/0687/2001MANU/KE/0687/2001 : 2001 क्रि. लॉ ज. 2690; निहाल खान बनाम द स्टेट (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) MANU/DE/7016/2007MANU/DE/7016/2007 ; 2007 क्रि. लॉ ज. 2074, का अवलम्ब लेकर, या शायद एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 79 और 80 का अवलम्ब लेकर, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के लागू होने की अनुमति देती हैं, दोबारा परीक्षण की अनुमति देती प्रतीत होती हैं। हालांकि दोबारा परीक्षण किसी अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार हो सकता है, तथापि, जिस अनियोजित तरीके से इस अधिकार को

अन्य कानूनों से, उसके साथ जुड़े प्रतिबंधों के बिना शामिल किया जाता है, वह अनुमति योग्य नहीं है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत, विचारण के प्रत्येक चरण में दोबारा परीक्षण और पुनः नमूनाकरण बड़े पैमाने पर है, जो कि उन अन्य विधानों के विपरीत है जो एक विशिष्ट समय-सीमा को परिभाषित करते हैं जिसके भीतर यह अधिकार उपलब्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त , विधानमंडल के प्रज्ञान को भी सम्मान दिया जाना चाहिए जब वह स्पष्ट रूप से किसी ऐसे प्रावधान का लोप कर देती है, जो अन्यथा अन्य विधानों में एक मानक प्रावधान के रूप में दिखाई देता है। विधानमंडल ने, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के विपरीत, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 25(4), खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 को अधिनियमित किया, जो दोबारा परीक्षण के लिए आवेदन दायर करने हेतु क्रमशः तीस, दस और बीस दिनों की समयावधि की अनुमति देते हैं।

24. अतः, यह आज्ञापक है कि दोबारा परीक्षण के अधिकारों को, यदि बिल्कुल भी परिभाषित किया जाए, तो ऊपर कथित कारकों के सम्मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जाए। इसके अतिरिक्त, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52क के आलोक में, जो कुछ परिसंकटमय पदार्थों के त्वरित निपटान की अनुमति देती है, वह समय-सीमा जिसके भीतर दोबारा परीक्षण के लिए किसी भी आवेदन की अनुमति दी जा सकती है, कड़ाई से परिभाषित होनी चाहिए। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए इस प्रकार है:-

52A. जब्त की गई स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का निपटान

(1) केंद्रीय सरकार, किसी भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ की परिसंकटमय प्रकृति, उनके चोरी होने की सहजभेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की सीमाओं या किसी अन्य सुसंगत विचारणाओं को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या स्वापक औषधियों के वर्ग या मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें उनकी जब्ती के पश्चात, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से व्ययन जाएगा जैसा कि वह सरकार, इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद, समय-समय पर अवधारित करे।

(2) जहाँ कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ जब्त किया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या धारा 53 के तहत सशक्त किए गए अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, वहाँ उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की एक तालिका तैयार करेगा, जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग की रीति, चिह्न, संख्या या स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के ऐसे अन्य पहचान संबंधी विवरण या उस पैकिंग का विवरण जिसमें वे पैक किए गए हैं, उद्भव का देश और अन्य ऐसे विवरण शामिल होंगे जिन्हें उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की

पहचान के लिए सुसंगत समझे, और इस हेतु किसी भी मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करे-

(क) इस प्रकार तैयार की गई तालिका की शुद्धता को प्रमाणित करने; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसी औषधियों या पदार्थों के फोटोग्राफ लेने और ऐसे चित्रों को सही रूप में प्रमाणित करने; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने निकालने की अनुमति देने और इस प्रकार निकाले गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने।

(3) जहां उप-धारा (2) के अंतर्गत आवेदन किया गया हो, मजिस्ट्रेट, यथासंभव शीघ्र, उस आवेदन की अनुमति देगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का विचारण करने वाली प्रत्येक न्यायालय, तालिका, स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के फोटोग्राफ और उपधारा (2) के तहत निकाले गए तथा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की किसी भी सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानेगी।

25. अतएव, ऊपर चर्चा किए गए कारकों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा

आवश्यक परीक्षणों के पूरा होने के बाद, उसके परिणाम मामले से संबंधित सभी पक्षों को प्रस्तुत कराए जाने चाहिए। दोबारा परीक्षण/पुनः नमूनाकरण के संबंध में किसी भी अनुरोध को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत सामान्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, इन्हें अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले ठोस कारणों के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। ऐसे विरले मामलों में एक आवेदन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए; तत्पश्चात दोबारा परीक्षण/पुनः नमूनाकरण के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, किसी भी बाध्यकारी परिस्थिति के अभाव में, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का दोबारा परीक्षण/पुनः नमूनाकरण सर्वथा निषिद्ध है।"

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **थाना सिंह (उपरोक्त)** के मामले के परिशीलन मात्र से यह स्पष्ट है कि दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण को एक सामान्य /नियमित प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिए और इसे केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमति दी जाएगी, जो कि पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए बाध्यकारी कारणों द्वारा समर्थित होनी चाहिए, तथा दोबारा परीक्षण के आवेदन के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, और इस अवधि के बाद, ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय अत्यंत असाधारण मामलों के।

5. यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण सामान्यतः निषिद्ध है, हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में-जैसे कि जब नमूना क्षतिग्रस्त हो गया हो, क्षयशील हो गया हो, या न्यायालयिक प्रयोगशाला में दुर्घटनावश नष्ट या उपभोग हो गया हो-दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट, संसूचना या सुसंगत जानकारी प्राप्त होने पर, यदि विचारण न्यायालय दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण का आदेश देना आवश्यक समझता है, तो उसे ऐसा नियमित रूप से या एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं करना चाहिए। उसे पुलिस रिपोर्ट और अभिलेख पर मौजूद अन्य सामग्रियों की जांच करने के बाद इस तरह के निर्देश के लिए विशिष्ट कारण प्रदान करने होंगे और युक्तियुक्त आधार स्थापित करने होंगे। इन शर्तों की संतुष्टि होने पर ही, और एक सुविचारित आदेश के माध्यम से ही, विचारण न्यायालय दोबारा परीक्षण या पुनः नमूनाकरण का निर्देश दे सकता है। ऐसे औचित्य के अभाव में, यह अनुमति योग्य नहीं है। इस कानूनी और साथ ही तथ्यात्मक स्थिति की दृष्टि में कि इस मामले में कोई विनिषिद्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है, यह विविध याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

6. तदनुसार, वर्तमान विविध याचिका को स्वीकार किया जाता है। पुलिस थाना झाब, जिला सांचैर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 56/2024 और उसके अनुसरण में होने वाली सभी परिणामी कार्रवाइयों को एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है और खारिज किया जाता है। यदि याचिकाकर्ता अभिरक्षा में हैं, तो उन्हें अविलंब रिहा कर दिया जाएगा।

7. भविष्य को दृष्टि में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है:

a) पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि राज्य भर के सभी थानाधिकारियों को ऊपर उल्लिखित निर्देशों और टिप्पणियों से अवगत कराया जाए और वे इनकी सख्ती से पालना करें। इस संबंध में एक लिखित संसुचना इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

b) इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल इस आदेश की एक प्रति एन.डी.पी.एस. मामलों के विचारण के लिए सौंपे गए सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रसारित करेंगे, जिसमें उन्हें इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा में अधिकथित कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालना करने का निर्देश दिया जाएगा।

8. रजिस्ट्री को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वह आवश्यक अनुपालन के लिए इस आदेश की प्रतियां सीधे पुलिस महानिदेशक और इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रेषित करें।

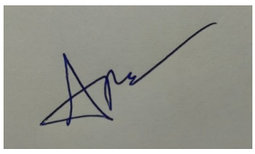
9. स्थगन याचिका निस्तारित की जाती है।

(फरज़ंद अली),जे

61-ममता/-

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं

व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान